राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4286/2001

1. मुन्नालाल (स्वर्गवासी) उनके विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से

   1/1. विश्व बन्धु, पुत्र मुन्नालाल
   1/2. मीना पुत्री मुन्नालाल
   1/3. पद्मावती पुत्री मुन्नालाल
   1/4. उमा, पुत्री मुन्नालाल
2. दिनेश चन्द्र, रघुवीर प्रसाद के दोनों पुत्र ।
3. बिशन स्वरूप
4. हरि किशन
5. नरेश कुमार
   सभी मुन्नालाल के पुत्र
6. ब्रिजेश कुमार
7. जगदीश प्रसाद
8. ब्रिजेश (स्वर्गवासी)
   8/1. विमला मिश्रा पत्नी बृजेन्द्र,
   8/2. रजनी पत्नी विष्णु (पुत्री बृजेन्द्र)
   8/3. राजीव मिश्रा पुत्र बृजेन्द्र
   8/4. सुनील मिश्रा पुत्र बृजेन्द्र
9. रवीन्द्र कुमार
   सभी श्री दया सागर के पुत्र
10. अनुपम पुत्र श्री सुरेश कुमार
    सभी निवासी पुराना शहर, धौलपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. अतिरिक्त कलक्टर, धौलपुर
4. तहसीलदार, धौलपुर.

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से : श्री संजय महर्षि, के साथ
श्री राकेश सैनी

उत्तरदाता (ओं) की ओर से : सुश्री गुंजन चावला, के लिए
श्री नीरज बत्रा, जीसी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

निर्णय

15/01/2025

1. यह याचिका राजस्व मण्डल (संक्षेप में 'बोर्ड'), अजमेर द्वारा पारित दिनांक 04.07.2001 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि वादी-याचिकाकर्ताओं ने धौलपुर जिले के ग्राम भैंसाख में खसरा संख्या 426 में स्थित 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संबंध में घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और प्रविष्टियों में सुधार के लिए वाद दायर किया था। 10.04.2000 को वाद पर डिक्री हुई । तहसीलदार के आवेदन पर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 अधिनियम') की

धारा 232 के अंतर्गत बोर्ड को एक संदर्भ भेजा गया। संदर्भ 04.07.2001 को स्वीकार कर लिया गया। अतः, वर्तमान याचिका।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बोर्ड ने संदर्भ स्वीकार करने में गलती की है। संबंधित ज़मीन याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती के कृषि-कब्ज़े में थी। बंदोबस्त विभाग ने ज़मीन को ग़लती से चरागाह के रूप में दर्ज कर दिया।

4. तर्क यह है कि वाद का निर्णय करते समय, न्यायालय ने नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती के पक्ष में पट्टे पर विचार किया गया था। बोर्ड ने बिना कोई अवसर दिए, यह निष्कर्ष दर्ज किया कि पट्टा न तो राजस्व वाद में और न ही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने पट्टे की एक फोटोकॉपी प्रस्तुत की है जिसे अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।

5. बोर्ड ने यह कहते हुए संदर्भ को स्वीकार कर लिया कि 1955 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चारागाह भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती। यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं ने पूर्व जागीरदार द्वारा जारी पट्टे के आधार पर खेती योग्य कब्जे का दावा किया था, लेकिन पट्टा प्रस्तुत नहीं किया गया। वाद में, नायब तहसीलदार का आदेश प्रस्तुत किया गया,

जिसमें याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पट्टे का उल्लेख किया गया था। किसी भी स्थिति में, बोर्ड को यह दर्ज करने से पहले कि उसके समक्ष कोई पट्टा प्रस्तुत नहीं किया गया, याचिकाकर्ताओं को पट्टे की एक प्रति प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, बोर्ड द्वारा दिनांक 04.07.2001 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से संदर्भ तय करने के लिए बोर्ड को वापस भेज दिया जाता है।

7. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

मोनिका/रिया/8

क्या रिपोर्ट योग्य है: **हाँ**

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate